

पत्रांक:— बी०एस०बी०सी०सी०एल०-01/2018-मुख्य महाप्रबंधक 3001

दिनांक: 05/10/2018

### कार्यालय आदेश -106

विषय:—अभियंत्रण कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित सामान्य निर्देश।

1. प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र के सभी मदों के दर में भवन निर्माण विभाग के अनुसूचित दर को प्राथमिकता दी जाय। डी०एस०आर० तथा अन्य अनुसूचित दर का उपयोग सक्षम प्राधिकार के अनुमति के पश्चात् ही करना है।
2. गैर अनुसूचित मदों का दर निर्धारण उचित स्पर्द्धा से प्राप्त कोटेशन के आधार दर विश्लेषण के पश्चात् ही किया जाय।
3. विशेष परिस्थिति को छोड़कर दिनांक-27.07.2018 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कंडिका-3.16 के आलोक में निविदा अपलोड करने एवं खोलने की तिथि के बीच कम से कम 21 दिन का समय दिया जाय।
4. किसी भी योजना के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण-विपत्र अनुमोदन के पश्चात् ही निविदा की कार्यवाही की जाय।
5. अनुमोदित निविदा आमंत्रण प्रपत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाय। यदि किसी योजना के लिए विशेष शर्तें जोड़ना आवश्यक है, तो निविदा समिति से अनुमोदन के पश्चात् ही इसे जोड़ा जाय।
6. तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलन के अनुरूप सभी मदों (यथा-सिविल, विद्युत, अग्निशमन, परिसर विकास एवं फर्निचर इत्यादि) के साथ समेकित रूप से निविदा आमंत्रित की जाय।
7. प्रशासनिक स्वीकृति का विखंडन सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना नहीं किया जाय।
8. दिनांक-28.07.2018 को भवन निर्माण विभाग के विभागीय समीक्षात्मक बैठक के क्र०सं०-22 पर दिये गये निर्देश के आलोक में योजना के कार्य समाप्ति की अवधि को यथासंभव कम किया जाय ताकि S.B.D के Clause 10C एवं 10CC के आलोक में संवेदक द्वारा Price escalation का दावा से बचा जा सके।
9. योजना में 100% fly ash brick का ही प्रयोग किया जाय। (दिनांक-28.07.2018 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही की कंडिका (25)।



मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना